



51

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी/सतना भू-रं/2017/2556

श्री. वज्रेश्वर सिंह यादव  
द्वारा आज दि. 4/8/17  
प्रस्तुत

वज्रेश्वर सिंह यादव  
वैक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. सुनील तनय शंकर प्रसाद ब्रा0 उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि सा0 बीदा तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0
2. आशीष कुमार तनय शंकर प्रसाद ब्रा0 उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि सा0 बीदा तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0—निगराकारगण

**बनाम**

मोतीलाल तनय रामसेवक ब्रा0 उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि सा0 बीदा तह0 रामपुर बाघे0 जिला सतना म0प्र0—गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तह0 रामपुर बाघे0 जिला सतना म0प्र0 के प्र0क्र0 56 अ 70/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31/07/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 का0मा0 1959

मान्यवर,

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आधार निम्न हैं :-

**प्रकरण के तथ्य**

प्रकरण के तथ्य यह है कि निग0 द्वारा न्याया0 नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तह0 रामपुर बाघे0 जिला सतना म0प्र0 के समक्ष ग्राम बीदा स्थित आ0न0 441 रकवा 0.178 हे0 जो मुझ निगकारगणो के भूस्वामित्व की आंराजी है जिसमें गैरनिगराकार द्वारा दिनांक 21/06/2017 को अंश भाग 30'x50 वर्गफुट में अनाधिकृत रूप से मकान निर्माण किया जा रहा है ऐसी स्थिति में




(51)

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2556

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार चोरहटा के प्रकरण क्र. 56/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम. शर्मा)            सदस्य         </p>	